

राजस्थान सरकार
शिक्षा विभाग
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर
क्रमांक एफ 4(पार्ट-2) निस/आकाशि/2015/1300 दिनांक - २२.५.१५

वेबसाईट प्रभारी,
आयुक्तालय कालेज शिक्षा, राजस्थान,
जयपुर।


विषय:- नवीन निजी महाविद्यालयों का निरीक्षण प्रोफार्मा सत्र 2015-16
अपलोड करने हेतु।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सत्र 2015-16 में नवीन निजी महाविद्यालय खोलने के
लिए आवेदन करने वाले महाविद्यालयों का निरीक्षण प्रोफार्मा संलग्न है (पृष्ठ संख्या 1
से 8 तक)।


कृपया इसे वेबसाईट पर अपलोड करावें।

संलग्न - उपरोक्तानुसार (पृ० सं 1 से 8)


संयुक्त निदेशक (नि.स.)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 4(पार्ट-2) निस/आकाशि/2015/1300 दिनांक - 22.५.१५
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. समस्त निरीक्षण अधिकारी कृपया संलग्न प्रोफार्मा के अनुसार नवीन निजी
महाविद्यालयों का निरीक्षण कर निर्धारित अवधि में रिपोर्ट विभाग को उपलब्ध
करावें तथा पालिसी 2015-16 के बिन्दू संख्या 14.2 के अनुसार यदि संस्था
द्वारा शुल्क कम जमा करवाया गया है तो शेष शुल्क का ई-चालान भी प्राप्त
कर रिपोर्ट के साथ संलग्न करें।
2. सचिव/ अध्यक्ष, नवीन निजी महाविद्यालय कृपया संलग्न प्रोफार्मा के अनुसार
तैयारी कर निरीक्षण अधिकारी से सम्पर्क कर महाविद्यालय का निरीक्षण करवा
कर प्रोफार्मा में चाहे गये दस्तावेज निरीक्षण अधिकारी से प्रमाणित करवा कर
निर्धारित अवधि में उपलब्ध करावें।


संयुक्त निदेशक (नि.स.)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

निरीक्षण प्रपत्र
नवीन महाविद्यालयों के भौतिक सत्यापन हेतु
सत्र 2015–16

(पृष्ठ संख्या 1 से 8 तक)

निरीक्षण आदेश क्रमांक दिनांक

निरीक्षण दिनांक आवेदन सत्र

आवेदन शुल्क का विवरण –

आवेदन शुल्क राशि चालान / रसीद सं0 दिनांक
बैंक / शाखा
संलग्न करें :— चालान / रसीद की छाया प्रति (पृष्ठ संख्या)

भाग अ
सामान्य विवरण

1. आवेदक समिति संबंधी विवरणः—

1.1 आवेदक समिति का नाम एवं पता.....

1.2 पंजीकरण क्रमांक एवं दिनांक

1.3 समिति द्वारा संचालित अन्य संस्थाओं के नाम व पता

2. प्रस्तावित महाविद्यालय का नाम एवं पूर्ण पता.....

..... तहसील लोकसभा क्षेत्र

उपखण्ड जिला विधान सभा क्षेत्र

टेलीफोन नम्बर मय एस.टी.डी. कोड.....

फैक्स नम्बर

मोबाईल नम्बर

ई मेल पता

3. प्रस्तावित महाविद्यालय का प्रकार— सामान्य स्नातक/विधि

3.1 नवीन प्रस्तावित विधि महाविद्यालय की स्थिति में उस स्थान पर जिला न्यायालय/ ए.डी.जे. न्यायालय/ सी.जे.एम. कोर्ट की उपलब्धता सम्बन्धी सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें (पृ० सं0))

4. प्रस्तावित महाविद्यालय की श्रेणी— सह शिक्षा/महिला

5. प्रस्तावित महाविद्यालय का क्षेत्र— पिछड़ा क्षेत्र /आरक्षित क्षेत्र

6. प्राचार्य का नाम व पता.....

मोबाईल न0..... ई—मेल

7. आवेदित संकाय एवं विषय

- 7.1 आवेदित संकाय एवं विषय सम्बद्धक विश्वविद्यालय में उपलब्ध होने का शपथ पत्र (संलग्न पृ०सं०)
8. छात्रहित में चलाये जाने वाले अन्य पाठ्यक्रम यथा कम्प्यूटर, विदेशी भाषा, कौशल एवं आजीविका, सड़क सुरक्षा, योग, वोकेशनल पाठ्यक्रम एवं डिस्लोमा आदि ।
9. निम्नलिखित आशय का शपथ पत्र संलग्न करें :—
 प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने पर सांख्यिकी पुस्तिका एवं महाविद्यालय विवरणिका की पूर्ति कर विभाग में निर्धारित अवधि में आवश्यक रूप से जमा करवा दी जायेगी एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF-II (Data Capture Format-II). भरकर अपलोड करने के बाद Hard copy विभाग में जमा करवा दी जायेगी तथा महाविद्यालय की बेवसाईट बना ली गयी है / बना ली जायेगी (शपथ पत्र संलग्न पृष्ठ संख्या) ।

भाग ब अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र के मानदण्डों की शर्तें

क्र. स.	विवरण	संलग्न दस्तावेज पृ०सं०	मानदण्डानुसार पूर्ण/अपूर्ण	लघु हस्ताक्षर	टिप्पणी															
1	<u>पंजीयन</u> 1.1 पंजीयन प्रमाण पत्र 1.2 विधान की प्रति 1.3 प्रबन्ध समिति की सूची निर्वाचन तिथि सहित 1.4 महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु समिति का प्रस्ताव— जिसमें महाविद्यालय की क्षेत्रीय आवश्यकता एवं औचित्य का आधार बताया गया हों तथा खोले जाने वाले संकाय (विषयों सहित) का स्पष्ट उल्लेख हो ।																			
2	<u>भूमि</u> 2.1 समिति के नाम भूमि के पंजीकृत दस्तावेज / पट्टा 2.2 भूमि की जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस 2.3 सम्पूर्ण भूमि का रूपान्तरण आदेश / शुल्क की रसीद एवं शपथ पत्र 2.4 भूमि की वर्गमीटर में माप का सक्षम अधिकारी (तहसीलदार अथवा वरिष्ठ अधिकारी) द्वारा जारी प्रमाण पत्र 2.5 समिति का प्रस्ताव जिसमें महाविद्यालय के लिये उक्त भूमि को चिह्नित किया गया हो भूमि के मानदण्ड																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र. सं.</th><th>स्थान</th><th>महाविद्यालय के लिए (अविवादित स्वामित्व वाली)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>जयपुर जे.डी.ए. क्षेत्र में</td><td>2000 वर्गमीटर</td></tr> <tr> <td>2</td><td>सम्भागीय मुख्यालय क्षेत्रों में</td><td>4000 वर्गमीटर</td></tr> <tr> <td>3</td><td>जिला मुख्यालय क्षेत्रों में</td><td>5000 वर्गमीटर</td></tr> <tr> <td>4</td><td>अन्य क्षेत्रों में</td><td>8000 वर्गमीटर</td></tr> </tbody> </table>	क्र. सं.	स्थान	महाविद्यालय के लिए (अविवादित स्वामित्व वाली)	1	जयपुर जे.डी.ए. क्षेत्र में	2000 वर्गमीटर	2	सम्भागीय मुख्यालय क्षेत्रों में	4000 वर्गमीटर	3	जिला मुख्यालय क्षेत्रों में	5000 वर्गमीटर	4	अन्य क्षेत्रों में	8000 वर्गमीटर				
क्र. सं.	स्थान	महाविद्यालय के लिए (अविवादित स्वामित्व वाली)																		
1	जयपुर जे.डी.ए. क्षेत्र में	2000 वर्गमीटर																		
2	सम्भागीय मुख्यालय क्षेत्रों में	4000 वर्गमीटर																		
3	जिला मुख्यालय क्षेत्रों में	5000 वर्गमीटर																		
4	अन्य क्षेत्रों में	8000 वर्गमीटर																		

3	भवन			
3.1	भवन में उपलब्ध कक्षों एवं सुविधाओं का विवरण (संलग्न प्रपत्र की पूर्ति कर संलग्न करें).....			
3.2	पंजीकृत वास्तुविद द्वारा तैयार करवाकर सक्षम अधिकारी (सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) अधिकारी अथवा पंचायत समिति JEN) द्वारा प्रमाणित भवन का नक्शा(ब्ल्यू प्रिन्ट).....			
3.3	भवन के पंजीकृत दस्तावेज (विक्रिय पत्र/ दान पत्र) अथवा पंजीकृत किरायानामा अथवा स्वयं की भूमि पर ही भवन स्थित होने का सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण पत्र			
3.4	नवीनतम भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र			
3.5	किराये का भवन होने पर			
क	भवन एवं भूमि के मध्य दूरी का एवं सम्बन्धित निकाय/ ग्राम पंचायत में ही संस्था द्वारा क्रय की गई भूमि का सक्षम अधिकारी(तहसीलदार अथवा वरिष्ठ अधिकारी) का प्रमाण पत्र			
ख	तीन वर्ष की अवधि में स्वयं की भूमि पर मानदण्डानुसार भवन निर्माण का शपथ पत्र			
ग	स्वयं की भूमि पर मानदण्डानुसार प्रस्तावित भवन का ब्लू प्रिन्ट.....			
घ	प्रस्तावित महाविद्यालय भवन में संचालित अन्य संस्थाओं का विवरण			
4	सावधि जमा (एफ.डी.आर.)			
4.1	एफ.डी.आर. की छाया प्रति			
4.2	यदि महाविद्यालय पिछडा/ आरक्षित विधान सभा क्षेत्र में स्थित है तो सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण पत्र			
	सावधि जमा के मानदण्ड :-	(राशि लाखों में)		
	क्र.सं.	विवरण	सामान्य क्षेत्र	आरक्षित/ पिछडा क्षेत्र
	1	सहशिक्षा महाविद्यालय	10.00	05.00
	2	महिला महाविद्यालय	04.00	02.00
		नवीन निजी महाविद्यालय प्रारम्भ करने से पूर्व पांच वर्ष के लिए सावधि जमा (एफ.डी.आर.) के रूप में महाविद्यालय के नाम, पता एवं संयुक्त निदेशक (निजी संस्थायें), आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के संयुक्त खाते में निम्न तालिकानुसार राशि जमा करवाकर एफ.डी.आर. की छाया प्रति मूल से मिलान कर प्रमाणित करते हुए आवेदन पत्र के साथ संलग्न करनी होगी ।		
5	छात्र सुविधायें			
5.1	छात्रा कक्ष, शौचालय, वाहन स्टेण्ड, पेयजल, विद्युत, खेल मैदान, खेल सामग्री, फर्नीचर आदि का विवरण एवं छाया चित्र (कम्प्युटराईज्ड छाया चित्र नहीं होना चाहिए).....			
6	सुदृढ वित्तीय स्थिति			
6.1	समिति/ महाविद्यालय की अद्यतन बैंक पासबुक की छाया प्रति ..			
7	आगामी दस वर्षों का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.)			
7.1	समिति का शैक्षणिक संस्था संचालन का अनुभव, पृष्ठ भूमि, दृष्टिकोण एवं लक्ष्य			
7.2	महाविद्यालय की समयवार विकास योजना ...			
7.3	भावी वित्तीय संसाधनों का विवरण			
8	राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने का घोषणा पत्र			
9	महाविद्यालय को तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान घोषित करने का प्रमाण पत्र			

भवन के मानदण्डों की पूर्ति :—

क्र. सं.	कक्षों का विवरण संकायबार	प्रथम वर्ष के लिये मानदण्ड		संस्था की वास्तविक स्थिति		
		कुल कक्ष	माप वर्ग फिट में	कुल कक्ष	माप वर्ग फिट में	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	कक्षा कक्ष कला	3	30×30			
2.	कक्षा कक्ष वाणिज्य	2	30×30			
3.	कक्षा कक्ष विज्ञान	3	30×30			
4	कक्षा कक्ष विधि संकाय	2	30×30			
5	कक्षा कक्ष व्यावसायिक पाठ्यक्रम (प्रति पाठ्यक्रम)	1	30×30			
6	प्रत्येक प्रायोगिक विषय हेतु प्रयोगशाला	1	30×30			
7	कार्यालय कक्ष	2	15×20			
8	भण्डार कक्ष	1	30×30			
9	प्राचार्य कक्ष	1	15×20			
10.	प्राध्यापक कक्ष	1	30×30			
11.	पुस्तकालय कक्ष	1	30×30			
12	वाचनालय कक्ष	1	30×30			
13	क्रीड़ा कक्ष	1	30×30			
14	गल्स कॉमन रूम (सह शिक्षा महाविद्यालय होने पर)	1	15×20			शौचालय सुविधा युक्त
			योग			

हस्ताक्षर निरीक्षण अधिकारी दल प्रमुख
(निरीक्षण दल प्रमुख आवश्यक रूप से हस्ताक्षर, मोबाईल नम्बर एवं मोहर अंकित करें)

भाग स

अनुशंसा एवं प्रमाण पत्र –

1. हम सभी निरीक्षण अधिकारियों ने सभी दस्तावेजों का (एफ.डी.आर सहित) मूल एवं भौतिक रूप से मिलान कर लिया है।
2. संलग्न किये गये सभी दस्तावेजों को हमारे द्वारा मोहर सहित प्रमाणित कर दिया गया है।
3. महाविद्यालय की एवं महाविद्यालय भूमि की संलग्न प्रपत्र के अनुसार फोटो लगा कर रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत कर दिया गया है।
4. संस्था ने सत्र 2015–16 में नवीन महाविद्यालय संचालन हेतु आवश्यक सभी मानदण्डों की पूर्ति कर ली है/नहीं की है।
5. भवन एवं भूमि के छाया चित्रों में कम्प्यूटरजनित छेड़छाड़ नहीं की गयी है तथा वे वास्तविक हैं।
6. अतः संस्था को नवीन अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की अनुशंसा की जाती है/नहीं की जाती है।

विशेष कथन –

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

निरीक्षण अधिकारी

हस्ताक्षर.....

(1.) नाम (2) नाम (3) नाम

पद पद पद

मो.नं. मो.नं. मो.नं.

महाविद्यालय का समुख भाग

महाविद्यालय का पाश्व भाग

सम्पूर्ण भूमि सहित निरीक्षण अधिकारी के साथ महाविद्यालय का चित्र

निरीक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर

पुस्तकालय

वाचनालय

खेल मैदान

निरीक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर

क्रीड़ा कक्ष

छात्र सुविधायें (शौचालय, पेशाबघर)

प्रयोगशाला

नोट :- विषयवार प्रयोगशाला एवं कम्प्युटर रूम का छायाचित्र पृ०सं० ८ के पश्चात लगाकर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना है।

निरीक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर